संख्या-विधि-4 (1)अधिनियम/नियमावली संशोधन-(2015-16)- 1631 /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
विधि अनुभाग
लखनऊ:: दिनांक:: 28 अक्टूबर, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :: रु0 50 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर निर्धारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन-(2015-16)/1295/ वाणिज्य कर, दिनांक 9 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रु0 50 लाख तक वार्षिक विक्रयधन वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में नियत सूचनायें आनलाइन अंकित किए जाने के निर्देश दिये गये थें। प्रश्नगत परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार खण्ड में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु उक्त सूचनाएँ दिनांक 30-9-2015 अंकित की जानी थी तथा इसका एप्रूवल सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 तक किया जाना था।

अत्यन्त खेद का विषय है कि इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचनाओं का अंकन नहीं किया गया, जिसके कारण अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा रु0 50 लाख तक वार्षिक टर्नओवर के ऐसे व्यापारियों, जिनके वादों में लेखा बहियों या अभिलेखों का परिक्षण करके कर निर्धारण आदेश पारित किए जाने हैं, का चयन नहीं किया जा सका।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र दिनांक 9-9-2015 में दिए गए निर्देशानुसार व्यापारियों के चिन्हांकन का कार्य सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर से दिनांक 10-11-2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के स्तर से उनका एप्रूवल दिनांक 15-11-2015 तक पूर्ण कर दिया जाए। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन कर निर्धारण अधिकारियों अथवा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक चिन्हांकन / एप्रूवल का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

28/10/15
( मुकेश कुमार मेश्राम )
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।